I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB PANCHKULA **Year (वर्ष):** 2020

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0003 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 30/06/2020 17:40 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	166
3	IPC 1860	193
4	IPC 1860	466
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 30/06/2008 **Date To (दिनांक तक):** 03/08/2008

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/06/2020 **Time (समय):** 17:17 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 006 **Date and Time (दिनांक और समय):** 30/06/2020 17:17 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH, 4 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): PANCHKULA,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** DSP SHARIF SINGH

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 03/04/1970 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS SVB PKL, SVB PANCHKULA, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS SVB PKL, SVB PANCHKULA, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	तत्कालीन अध्यक्ष सदस्यों अधिकारियो व कर्मचारियों			1. हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन,आयोग पंचकुला,PANCHKULA SECTOR-5,PANCHKULA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल लेख इस प्रकार से है सेवा में, प्रबन्धक थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो, सैक्टर -17 पंचकुला । श्रीमान जी, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 15/6/2020-2 चौ0-1 दिनांक 29.06.2020, महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला हरियाणा के क्रमांक 6141/I-1/SVB (H) दिनांक 29.06.2020 व पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला, मण्डल पंचकुला के डायरी क्रमांक 157 दिनांक 29.06.2020 अनुसार अभियोग अंकित करने हेतू प्राप्त हुआ है जिसमें महाधिवक्ता हरियाणा चण्डीगढ के अर्धसरकारी पत्र क्रमांक SPL/77 दिनांक 26.06.2020 के अवलोकन से पाया गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकुला द्वारा विज्ञापन संख्या 6 दिनांक 20.07.2006 द्वारा 1983 PTI की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे तथा चयन के लिए दिनांक 28.12.2006 को चयन प्रकिया की घोषणा की गई थी । जिसके अनुसार कुल 200 अंक की लिखित परीक्षा व 25 अंक के साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाना था । परन्तु इस भर्ती प्रकिया के दौरान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष व सदस्यों ने अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए अयोग्य उम्मीदवारों को लाभ पहुँचाने के लिए चयन मानदण्डों ने बार – बार परिवर्तन किया। आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 30.06.2008, 11.07.2008 व 31.07.2008 को मनमाने तरीके से चयन मानदण्डों में बदलाव किया। जिन पर आयोग के किसी अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर नही थे । दिनांक 31.07.2008 के निर्णय के सम्बन्ध में चयन आयोग के कार्यालय टिप्पणी लेखन (Office note) में दिनांक 11.07.2008 द्वारा निर्धारित चयन प्रकिया के विरुद्व मुख्यमंत्री निवास के सामने विरोध प्रदर्शन का हवाला दिया गया तथा दिनांक 31.07.2008 के निर्णय द्वारा आयोग के अध्यक्ष ने सभी योग्य उम्मीद्वारों को साक्षात्कार हेतू बुलाने का निर्णय लिया जिससे स्पष्ट है कि तत्कालीन अध्यक्ष राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किसी दवाब में बार- बार चयन मानदण्डों में बदलाव किया गया। माननीय उच्च न्यायालय में इस सम्बन्ध में सुनवाई के दौरान अपने उपरोक्त निर्णयों को सही ठहराने के लिए एक पृष्ठ प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 03.08.2008 को चयन मानदण्ड निर्धारित करने के बारे में आयोग के सभी अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त निर्णय प्रस्तुत किया गया । जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को समाप्त करने के लिए तैयार किया गया दस्तावेज माना । इस प्रकार तत्कालीन अध्यक्ष ने चयन आयोग के सदस्यों के साथ मिलकर झूठा दस्तावेज तैयार किया । उपरोक्त चयन प्रकिया में आयोग के सदस्यों ने अपने चहेते उम्मीदवारों को साक्षात्कार में अनुचित लाभ देते हुए अत्याधिक अंक (कुल 30 अंक में से 20 से 27 तक) प्रदान किए तथा योग्य उम्मीदवारों को चयन से वंचित रखने के लिए कुल 30 अंक में से केवल 7 से 9 अंक तक दिए हुए है । इस प्रकार हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, सदस्यों व अधिकारियों ने अपने-अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपराधिक षडयंत्र रचकर, कानून के अनुसार कार्य न करके, झूठे साक्ष्य गढ कर, फर्जी दस्तावेज तैयार करके उन्हे असल के तौर पर इस्तेमाल करके, अयोग्य उम्मीदवारों को अनुचित लाभ पहुँचाकर अपराध जेर धारा 166,193,466,468,471,120 बी0 भा0द0स0 व धारा 13(1)(d) सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 का करना पाया गया अभियोग दर्ज करने के लिये लेख प्रस्तुत है । जिस पर मुकदमा दर्ज करने उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां बतौर स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजीस्ट्रेट व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जाए तथा नकल मिशल व असल तहरीर आगामी अनुसंधान के लिये श्री सुरेश कुमार ह0पु0से0 उप पुलिस अधीक्षक रा0चौ0ब्यू0 पंचकुला के हवाले की जाए । अज – थाना रा0चौ0ब्यू0 पंचकुला Sd Sharif Singh उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला । दिनांक 30.06.2020 at 5.00 Pm अज थाना-उपरोक्त तहरीर पर अभियोग न0 03 दिनांक 30.06.2020 धारा 166,193,466,468,471,120 बी0 भा0द0स0 व धारा 13(1)(d) सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 थाना राज्य चौक्सी ब्यूरो पंचकुला अंकित करके स्पैशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से इलाका मैजीस्ट्रेट साहब पंचकुला की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है । अभियोग की पुलिस फाईल व असल तहरीर आगामी अनुसंधान हेतू श्री सुरेश कुमार ह0पु0से0 उप पुलिस अधीक्षक रा0चौ0ब्यू0 पंचकुला के हवाले की गई। इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Suresh Kumar **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): hps **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Manbir Singh

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No. (सं.): IPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1970				**Is Proxitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)